

दावा अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, विनिमय


डिक्री


दिनांक :- 18/08/2026

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.ए.एस.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विनिमय किया जाता है:-

क. वादी खुशप्रीत कौर के कब्जा काश्त मे कृषि भूमि:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एन.आर.	34/327	11/2/.114, 12/2/.126, 13/2/.127, 14/2/.126, 15/2/.127, 16 ता 19, 20/2/.228, 21/2/.215, 22/.240, 23/3/.215, 23/1/.025, 23/2/.013, 24/1/.025, 24/2/.228, 25, 21/2/.013, 22/1/.013	3.100 हैक्.


सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



प्रतिवादी सं. 1 मैना देवी के कब्जा काशत मे कृषि भूमि:-			
चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एन.आर.	34/327	1/1/.228, 2 ता 4, 5/.037	1.024 हैक्.
ग. प्रतिवादी सं. 2 रजीराम के कब्जा काशत मे कृषि भूमि:-			
चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एन.आर.	34/326	5/1/.037, 5/2/.216, 6, 15/1/.126 15/2/.127, 16	1.012 हैक्.
घ. प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के कब्जा काशत मे ब.हि.ब. कृषि भूमि:-			
चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एन.आर.	34/326	1/2/.228, 2, 9, 10/1/.228, 11/1/.114, 11/2/.114, 12/1/.127, 12/2/.126, 13/1/.126, 13/2/.127, 18, 19, 20/2/.228, 21/.215, 22/.240, 23/.215	3.100 हैक्.
ङ. प्रतिवादी सं. 6 गुरदीप सिंह के कब्जा काशत मे कृषि भूमि:-			
चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एन.आर.	34/326	3, 4, 7, 8, 14, 17 23/.025, 24/.228, 25	2.024 हैक्.
च. प्रतिवादी सं. 7 किरणदीप कौर के कब्जा काशत मे कृषि भूमि:-			
चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एन.आर.	34/327	5/.216, 6 ता 9, 10/2/.228, 11/.114, 12/.127, 13/.126, 14/.127, 15/.126	2.076 हैक्.
छ. गै.मु. रास्ता			
चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एन.आर.	34/326	21/2/.013, 22/.013, 23/.013, 24/.025	0.064 हैक्.

पूर्व मे स्वीकृतशुदा रास्ता प.नं. 34/327 के किला नं. 21/2/.013, 22/.013, 23/.013 24/.025 कुल 0.064 हैक्. निरस्त करते हुए उक्त रास्ता के स्थान पर प.नं. 34/326 के किला 21/2/.013, 22/.013, 23/.013,, 24/.025 कुल 0.064 हैक्. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। रहन यथावत रखा जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 18/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मिस्तल)
सहायक कलक्टर एवं आर.ए.एस.
उपखण्ड पीलीबंगा अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा